About the Book

यह पुस्तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उप निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तैयार की गई है। इसमें पाठ्यक्रम, NCERT पाठ्यपुस्तकों एवं विगत वर्षों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की बेहतर और व्यवस्थित तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री दी गई है।

पुस्तक की मुख्य विशेषताएँ:

- पुस्तक में सम्पूर्ण थ्योरी दी गई है, जिससे अभ्यर्थी महत्वपूर्ण विषयों और अवधारणाओं को आसानी से समझ सकते हैं।
- थ्योरी पाठ्यक्रम, NCERT पाठ्यपुस्तकों एवं विगत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है।
- पुस्तक में 2000+ महत्वपूर्ण अध्यायवार अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जिससे नियमित अभ्यास किया जा सकता है।
- इसमें मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा से संबंधित सामग्री शामिल है।
- पुस्तक का कंटेंट 100% अपडेटेड रखा गया है, जिससे परीक्षा की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार तैयारी करने में मदद मिलती है।
- यह पुस्तक नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), प्लाटून कमाण्डर पीएसी (पुरुष), उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस (पुरुष), प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल (पुरुष) एवं महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नायब पुलिस (पीसी) आदि पदों की परीक्षा तैयारी के लिए समान रूप से उपयोगी है।

यह पुस्तक अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी बेहतर करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और उप निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा में सफलता पाने में मदद करती है।

अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें

Buy books at great discounts on: www.examcart.in | www.amazon.in/examcart |

AGRAWAL EXAMCART
Paper Pakka Fasega!
CB2434

उप निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा स्टडी बुक

उप निरीक्षक (SI)
भर्ती परीक्षा स्टडी बुक
ISBN - 978-93-5703-528-6
9 789357 035286
₹ 649

उप निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा स्टडी बुक
CB2434
AGRAWAL EXAMCART

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित

AGRAWAL EXAMCART
Paper Pakka Fasega!

उप निरीक्षक (SI)

नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), प्लाटून कमाण्डर पीएसी (पुरुष) /उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस (पुरुष), प्लाटून कमाण्डर / उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक ना०पु० (पीसी) के लिए समान रूप से उपयोगी

भर्ती परीक्षा

सम्पूर्ण स्टडी बुक

मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान | सामान्य हिंदी | संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा | मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा

100% UPDATED CONTENT
जब अपडेटेड कंटेंट पढ़ोगे, तभी परीक्षा Crack करोगे!

मुख्य विशेषताएँ

1. सम्पूर्ण थ्योरी
पाठ्यक्रम, NCERT पाठ्यपुस्तकों एवं विगत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित थ्योरी

2. अभ्यास प्रश्न
2000+महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न

Code	Price	Pages	ISBN
CB2434	₹649	690	978-93-5703-528-6

विषय सूची

➔ **Exam Book Material ई-बुक का Content** ix

4 सॉल्व्ड पेपर्स की ई-बुक QR Code में दी गई है।

➔ **परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना (Important Information)** x

(उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा की सम्पूर्ण जानकारी एवं पुस्तक या किसी भी समस्या के लिए हमारा Helpline No.)

➔ **पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न** xi

➔ **महत्वपूर्ण तथ्य** xiii

Unit-1 : मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान

अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)			कुल प्रश्न	पृष्ठ संख्या
(क) मूलविधि			70	1-44
क्र.	अध्याय का नाम	अभ्यास प्रश्न		
1.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	—		
2.	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	—		
3.	महिलाओं, बालकों तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी प्रावधान	10		
4.	मानवाधिकार संरक्षण, जनहित याचिका एवं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय	8		
5.	यातायात नियम	10		
6.	पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण	10		
7.	आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम	9		
8.	भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व संबंधी विधियाँ	10		
9.	सूचना का अधिकार अधिनियम, आई.टी. अधिनियम एवं साइबर अपराध	10		
10.	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम	3		
(ख) संविधान			23	45-80
क्र.	अध्याय का नाम	अभ्यास प्रश्न		
1.	भारतीय संविधान	23		
(ग) सामान्य ज्ञान			304	81-334
क्र.	अध्याय का नाम	अभ्यास प्रश्न		
2.	भारतीय इतिहास			
	➢ प्राचीन भारत का इतिहास	16		
	➢ मध्यकालीन भारत का इतिहास	16		
	➢ आधुनिक भारत का इतिहास	22		
	➢ भारतीय कला एवं संस्कृति	19		

अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)			कुल प्रश्न	पृष्ठ संख्या
क्र.	अध्याय का नाम	अभ्यास प्रश्न		
3.	भूगोल			
	➢ भारत का भूगोल	24		
	➢ विश्व का भूगोल	24		
4.	भारतीय अर्थव्यवस्था	21		
5.	सामान्य विज्ञान			
	➢ भौतिक विज्ञान	10		
	➢ रसायन विज्ञान	9		
	➢ जीव विज्ञान	26		
6.	पर्यावरण	20		
7.	उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी	33		
8.	उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था	7		
9.	भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध	6		
10.	कम्प्यूटर कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी	30		
11.	विविध	21		
		कुल प्रश्न-397		

Unit-2 : सामान्य हिंदी

अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)			कुल प्रश्न	पृष्ठ संख्या
क्र.	अध्याय का नाम	अभ्यास प्रश्न	563	1-77
1.	हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास एवं देवनागरी लिपि	25		
2.	वर्ण विचार	21		
3.	संधि एवं संधि–विच्छेद	15		
4.	उपसर्ग	14		
5.	प्रत्यय	15		

अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)			कुल प्रश्न	पृष्ठ संख्या
क्र.	अध्याय का नाम	अभ्यास प्रश्न		
6.	समास	25		
7.	संज्ञा	14		
8.	सर्वनाम	17		
9.	विशेषण एवं विशेष्य	21		
10.	क्रिया	15		
11.	अव्यय (अविकारी शब्द) क्रिया–विशेष सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक एवं निपात	24		
12.	शब्द रचना : रूढ़, यौगिक एवं योगरूढ़, तत्सम, अर्द्ध–तत्सम, तद्भव, देशज–विदेशज शब्द	39		
13.	व्याकरणिक कोटियाँ : लिंग, वचन, कारक, काल, वृत्ति एवं पक्ष	30		
14.	वाच्य : कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य	15		
15.	वाक्य रचना : अंग, भेद, रचना, पदक्रम–पदबंध	15		
16.	विराम चिह्न	16		
17.	शब्द शुद्धि/वर्तनी	12		
18.	वाक्य शुद्धि/वाक्यगत अशुद्धियाँ	15		
19.	पर्यायवाची शब्द	17		
20.	विलोम शब्द	15		
21.	अनेकार्थक शब्द	16		
22.	वाक्यांश के लिए एक शब्द	28		
23.	शब्द–युग्म : श्रुतिसम	17		
24.	मुहावरे–लोकोक्तियाँ	11		
25.	रिक्त स्थानों की पूर्ति	15		
26.	अलंकार, रस एवं छंद	30		
27.	मानक पारिभाषिक शब्दावली	20		
28.	हिंदी साहित्य : लेखक–कवि और रचनाएँ, सूक्तियाँ एवं पुरस्कार	26		
29.	अपठित गद्यांश	20		

Unit-3 : संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा

अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)			कुल प्रश्न	पृष्ठ संख्या
(क) संख्यात्मक योग्यता परीक्षा			304	78-162
क्र.	अध्याय का नाम	अभ्यास प्रश्न		
1.	संख्या पद्धति	15		
2.	लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक	12		
3.	वर्गमूल एवं घनमूल	12		
4.	भिन्न एवं दशमलव संख्याएँ	13		
5.	सरलीकरण	15		
6.	औसत	12		
7.	अनुपात एवं समानुपात	19		
8.	प्रतिशतता	15		
9.	लाभ–हानि एवं बट्टा	15		
10.	समय और कार्य	21		
11.	साधारण ब्याज	12		
12.	चक्रवृद्धि ब्याज	12		
13.	समय, चाल एवं दूरी	14		
14.	सांख्यिकी	10		
15.	आँकड़ों का विश्लेषण	14		
16.	समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल	13		
17.	पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन	15		
18.	बीजगणित	14		
19.	अनुक्रम तथा श्रेणियाँ	13		
20.	क्रमचय एवं संचय	11		
21.	प्रायिकता	14		
22.	समुच्चय	13		
(ख) मानसिक योग्यता परीक्षा			111	163-188
क्र.	अध्याय का नाम	अभ्यास प्रश्न		
1.	तार्किक आरेख	35		
2.	शब्दों, संख्या, अक्षर एवं प्रतीक का क्रम ज्ञात करना	21		
3.	व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण	20		
4.	आँकड़ों का तार्किक विश्लेषण	6		
5.	प्रभावी तर्क	14		
6.	अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना	15		
		कुल प्रश्न-415		

Unit-4 : मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा

अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)			कुल प्रश्न	पृष्ठ संख्या
(क) मानसिक अभिरुचि परीक्षा			260	189-248
क्र.	अध्याय का नाम	अभ्यास प्रश्न		
1.	जनहित	—		
2.	कानून एवं शान्ति व्यवस्था	—		
3.	साम्प्रदायिक सद्भाव	—		
4.	अपराध नियन्त्रण	—		
5.	विधि का शासन	—		
6.	अनुकूलन की क्षमता	—		
7.	व्यावसायिक सूचना (बेसिक स्तर की)	—		
8.	पुलिस प्रणाली	—		
9.	समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था	—		
10.	व्यवसाय के प्रति रुचि	—		
11.	मानसिक दृढ़ता	—		
12.	अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता	—		
13.	लैंगिक संवेदनशीलता	—		
(ख) बुद्धिलब्धि परीक्षा			221	249-280
क्र.	अध्याय का नाम	अभ्यास प्रश्न		
1.	शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता	43		
2.	असमान को चिह्नित करना	30		
3.	शृंखला पूर्ण करना	29		
4.	दिशा ज्ञान परीक्षण	20		
5.	रक्त सम्बन्ध	23		
6.	वर्णमाला पर आधारित प्रश्न	19		
7.	समय–क्रम परीक्षण	18		
8.	गणितीय योग्यता परीक्षण	39		

अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)			कुल प्रश्न	पृष्ठ संख्या
(ग) तार्किक परीक्षा			163	281-330
क्र.	अध्याय का नाम	अभ्यास प्रश्न		
1.	समरूपता/समानता	15		
2.	भिन्नता	21		
3.	खाली स्थान भरना	7		
4.	समस्या को सुलझाना	23		
5.	विश्लेषण निर्णय	9		
6.	निर्णायक क्षमता	20		
7.	दृश्य स्मृति	16		
8.	विभेदन क्षमता	12		
9.	पासा तथा घन एवं घनाभ	20		
10.	आकृति शृंखला	12		
11.	गद्यांश एवं अनुमान	8		
		कुल प्रश्न-644		

मॉक पेपर

- **मॉक पेपर-1** **1-10**

अतिरिक्त अध्ययन सामग्री ई-बुक
(Extra Study Material E-Book)

Extra Study Material ई-बुक का Content

- 4 सॉल्व्ड पेपर्स की ई-बुक
- डिस्काउंट कूपन दिया गया है। उसका उपयोग करें और 'www.examcart.in' से हमारी किताबें सबसे अच्छे डिस्काउंट पर खरीदें।

नोट : **Link Expire** होने से पहले दिए गए **QR Code** को स्कैन करके आप यह **Extra Study Material E-Book** को **Download** कर लें।

ऐसी पुस्तकें जो कोई आपको बताना नहीं चाहता!

इन अनोखी पुस्तकों ने कई छात्रों को उनके पहले प्रयास में ही परीक्षा पास करने में मदद की है और हम जो कहते हैं, उसे साबित भी करते हैं—इसीलिए हर पुस्तक के कुछ सैंपल चैप्टर दिए गए हैं। हम गारंटी देते हैं कि इन्हें पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि ये पुस्तकें क्यों सबसे बेहतरीन हैं और क्यों इतने सारे छात्र इनसे सफल हुए हैं।

नोट

पढ़ने के लिए, किसी भी पुस्तक के पास दिए गए **QR Code** को स्कैन करें, उसके वेबसाइट पेज पर **"View PDF"** पर क्लिक करें। अगर पुस्तक पसंद आए, तो **Extra Study Material** ई-बुक में दिया गया डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल करें और बेहतरीन डिस्काउंट भी पाएँ!

उत्तर प्रदेश सब–इंस्पेक्टर (PYQs)

उत्तर प्रदेश सब–इंस्पेक्टर (Practice Sets)

उत्तर प्रदेश सब–इंस्पेक्टर (Solved Paper)

Unit-1 : मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान

(क) मूलविधि

अध्याय 1 भारतीय न्याय संहिता, 2023

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना।
2. परिभाषाएँ।
3. साधारण स्पष्टीकरण और पद।

अध्याय 2
दण्डों के विषय में

4. दण्ड।
5. मृत्यु दण्डादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण।
6. दण्डावधियों की भिन्नें।
7. दण्डादिष्ट कारावास के (कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास) या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा।
8. जुर्माने की रकम का, जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर, दायित्व।
9. कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि।
10. कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है।
11. एकांत परिरोध।
12. एकांत परिरोध की अवधि।
13. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड।

अध्याय 3
साधारण अपवाद

14. विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
15. न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य।
16. न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य।
17. विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
18. विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना।
19. कार्य, जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है।
20. सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य।
21. सात वर्ष से ऊपर किंतु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य।
22. मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति का कार्य।
23. ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है।
24. किसी व्यक्ति द्वारा, जो मतता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है।
25. सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो।
26. किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है।
27. संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।
28. सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है।
29. ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है।
30. सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।
31. सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना।
32. वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है।
33. तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य।

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए

34. प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें।
35. शरीर लगा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।
36. ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से रुग्ण हो।
37. कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।
38. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है।
39. कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है।
40. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।
41. कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है।
42. ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है।
43. सम्पति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।

44. घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है।

अध्याय 4
दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में

45. किसी बात का दुष्प्रेरण।
46. दुष्प्रेरक।
47. भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण।
48. भारत में अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण।
49. दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहाँ कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है।
50. दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है।
51. दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है।
52. दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है।
53. दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो।
54. अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति।
55. मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।
56. कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।
57. लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण।
58. मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।
59. किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है।
60. कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।

आपराधिक षड्यंत्र के विषय में

61. आपराधिक षड्यंत्र।
62. आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड।

अध्याय 5
स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में यौन अपराधों के विषय में

63. बलात्संग।
64. बलात्संग के लिए दंड।
65. कतिपय मामलों में सामूहिक बलात्संग के लिए दंड।
66. पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड।
67. पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान या प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।
68. प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।
69. प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि से नियोजक द्वारा मैथुन।
70. सामूहिक बलात्संग।
71. पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड।
72. कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण।

स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में

73. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
74. लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड।
75. विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
76. दृश्यरतिकता।
77. पीछा करना।
78. शब्द, अंगविक्षेप या कार्य, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।

विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में

79. दहेज मृत्यु।
80. विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास।
81. पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना।
82. विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना।
83. विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना।
84. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना।
85. विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना।

गर्भपात आदि कारित करने के विषय में

86. गर्भपात कारित करना।
87. स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना।
88. गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु।
89. शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।
90. ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना।

बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में

91. शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग।
92. मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना।
93. अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना।
94. शिशु का उपापन।
95. दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण।

96. वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना।
97. वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु का खरीदना।

अध्याय 6
मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में

98. आपराधिक मानव वध।
99. हत्या।
100. जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय या उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध।
101. हत्या के लिए दण्ड।
102. आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड।
103. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड।
104. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना।
105. शिशु या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण।
106. आत्महत्या का दुष्प्रेरण।
107. हत्या करने का प्रयत्न।
108. आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न।
109. संगठित अपराध।
110. छोटे संगठित अपराध या सामान्यतः संगठित अपराध।
111. आतंकवाद अधिनियम के अपराध।

उपहति के विषय में

112. उपहति।
113. स्वेच्छया उपहति कारित करना।
114. घोर उपहति।
115. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।
116. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।
117. सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।
118. संस्वीकृति उद्घापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।
119. लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।
120. प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।
121. अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना।
122. अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।
123. कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो।

सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में

124. सदोष अवरोध।
125. सदोष परिरोध।

आपराधिक बल और हमले के विषय में

126. बल।
127. आपराधिक बल।
128. हमला।
129. गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड।
130. लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
131. गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
132. किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
133. किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
134. गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में

135. व्यपहरण।
136. अपहरण।
137. भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण।
138. हत्या करने के लिए या फिरौती के लिए व्यपहरण या अपहरण।
139. विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना।
140. व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण।
141. व्यक्ति का दुर्व्यापार।
142. ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण।
143. दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना।
144. विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम।

अध्याय 7
राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

145. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना।
146. धारा 145 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र।
147. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना।
148. युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना।
149. किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना।
150. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य।
151. भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना।
152. भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना।

153. धारा 151 और 152 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पति प्राप्त करना।

154. लोक सेवक का स्वेच्छ्या राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना।

155. उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना।

156. ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना।

अध्याय 8
सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

157. विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना।

158. विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए।

159. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जब कि वह ऑफिसर अपने पद–निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण।

160. ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए।

161. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण।

162. अभित्याजक को संश्रय देना।

163. मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक।

164. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण।

165. कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति।

166. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना।

अध्याय 9
निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

167. ''अभ्यर्थी'', ''निर्वाचन अधिकार'' परिभाषित।

168. रिश्वत।

169. निर्वाचनों में असम्यक्त असर डालना।

170. निर्वाचनों में प्रतिरूपण।

171. रिश्वत के लिए दण्ड।

172. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड।

173. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन।

174. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय।

175. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता।

अध्याय 10
सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

176. सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोट या बैंक नोट कूटकरण।

177. कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना।

178. कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना।

179. लिखित या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना या कब्जे में रखना।

180. करेंसी नोट या बैंक नोट के सदृश दस्तावेज बनाना या उपयोग करना।

181. इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया।

182. ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है।

183. स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना।

184. बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध।

185. टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है।

186. टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना।

अध्याय 11
लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

187. विधिविरुद्ध जमाव।

188. विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी।

189. बल्वा करना।

190. बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना–यदि बल्वा किया जाए–यदि बल्वा न किया जाए।

191. उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा किया गया है, का दायित्व।

192. दंगा।

193. लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना।

194. धर्म, मूलवंश, जन्म–स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।

195. राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान।

अध्याय 12
लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में

196. लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है।

197. लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है।

198. पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड।

199. लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है।

200. लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है।

201. लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है।

202. लोक सेवक का प्रतिरूपण।

203. कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना।

अध्याय 13
लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

204. समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना।
205. समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना।
206. लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर–हाजिर रहना।
207. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर–हाजिरी।
208. दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप।
209. सूचना या इतिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतिला देने का लोप।
210. मिथ्या इतिला देना।
211. शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए।
212. प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना।
213. कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार।
214. शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन।
215. इस आशय से मिथ्या इतिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे।
216. लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध।
217. लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना।
218. लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना।
219. लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना।
220. लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो।
221. लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा।
222. लोक सेवक को क्षति करने की धमकी।
223. लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी।
224. विधिविरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास।

अध्याय 14
मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

225. मिथ्या साक्ष्य देना।
226. मिथ्या साक्ष्य गढ़ना।
227. मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड।
228. मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।
229. आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।
230. किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना।
231. उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है।
232. मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना।
233. प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना।
234. ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन।
235. ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना।
236. अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतिला देना।
237. इतिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इतिला देने का साशय लोप।
238. किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतिला देना।
239. साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना।
240. वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण।
241. सम्पत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना।
242. सम्पत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा।
243. ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना।
244. बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना।
245. ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना।
246. क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप।
247. अपराधी को संश्रय देना।
248. अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना।
249. अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन।
250. चोरी की सम्पत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना।
251. ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है।
252. लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति।

253. लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी सम्पत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा।
254. किसी व्यक्ति को दंड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना।
255. न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना।
256. प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी।
257. पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप।
258. दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप।
259. लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना।
260. किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा।
261. किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा।
262. उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना।
263. अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना।
264. दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण।
265. न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न।
266. असेसर का प्रतिरूपण।
267. जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता।

अध्याय 15
लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

268. लोक न्यूसेन्स।
269. उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो।
270. परिद्वेषपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो।
271. करन्तीन के नियम की अवज्ञा।
272. विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण।
273. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय।
274. औषधियों का अपमिश्रण।
275. अपमिश्रित औषधियों का विक्रय।
276. औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय।
277. लोक जल–स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना।
278. वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना।
279. लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना।
280. जलयान का उतावलेपन से चलाना।
281. भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन।
282. अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण।
283. लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा।
284. विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।
285. अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध से उपेक्षापूर्ण आचरण।
286. विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण।
287. मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।
288. किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।
289. जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।
290. अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड।
291. न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना।
292. अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि।
293. बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि।
294. अश्लील कार्य और गाने।
295. लॉटरी कार्यालय रखना।

अध्याय 16
धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में

296. किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।
297. विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों।
298. धार्मिक जमाव में विघ्न करना।
299. कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना।
300. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से, शब्द उच्चारित करना आदि।

अध्याय 17
सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

चोरी के विषय में

301. चोरी।
302. झपटमारी।
303. निवास–गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी।
304. लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में सम्पत्ति की चोरी।
305. चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी।

उद्दापन के विषय में

306. उद्दापन।

लूट और डकैती के विषय में

307. लूट।
308. डकैती।
309. मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती।
310. घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न।
311. चोरों की टोली का होने के लिए दंड।

सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में

312. सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग।
313. ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी।

आपराधिक न्यासभंग के विषय में

314. आपराधिक न्यासभंग।

चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में

315. चुराई हुई संपत्ति।

छल के विषय में

316. छल।
317. प्रतिरूपण द्वारा छल।

कपटपूर्ण विलेखों और सम्पत्ति व्ययनों के विषय में

318. लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना।
319. ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना।
320. ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना।
321. सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना।

रिष्टि के विषय में

322. रिष्टि।
323. जीवजन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि।
324. क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।
325. रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि।
326. चोरी आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड।

आपराधिक अतिचार के विषय में

327. आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार।
328. गृह–अतिचार और गृह–भेदन।
329. गृह–अतिचार या गृह–भेदन के लिए दंड।
330. अपराध को करने के लिए गृह–अतिचार।
331. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह–अतिचार।
332. ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना।

अध्याय 18
दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में

333. मिथ्या दस्तावेज रचना।
334. कूटरचना।
335. न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना।
336. मूल्यवान प्रतिभूति, विल इत्यादि की कूटरचना।
337. धारा 338 या 339 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना।
338. कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना।
339. धारा 339 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना।
340. धारा 339 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना।
341. बिल, दत्तकग्रहण प्राधिकार–पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना।
342. लेखा का मिथ्याकरण।

सम्पत्ति चिह्नों के विषय में

343. सम्पत्ति–चिह्न।
344. क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति–चिह्न को बिगाड़ना।
345. सम्पत्ति–चिह्न का कूटकरण।
346. सम्पत्ति–चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा।
347. कूटकृत सम्पत्ति–चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय।
348. किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है।

अध्याय 19
आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में

349. आपराधिक अभित्रास।
350. लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान।
351. लोक रिष्टिकारक वक्तव्य।
352. व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य।
353. मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार।

मानहानि के विषय में

354. मानहानि।

असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में

355. असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का अंग के विषय में।
356. निरसन और व्यावृति।

❑❑